

पत्रांक-श्रम क० सं०-32/2025(अंश)-165
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, भागलपुर के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के अंतर्गत 07 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से रू० 14,00,000/- (चौदह लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 15,00,000/- (पन्द्रह लाख रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतीपरान्त राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार एवं आधार सं०	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता एवं मो० न०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ. ए. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० गोरेलाल राय, 34, उपेन्द्र राय, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनीता देवी (पत्नी) 675126654391	2458 31.12.2025	ग्राम-अठनियों, पो०-मीरजाफरी, थाना+प्र०-खरीक, जिला-भागलपुर 9123470798	605307 72920	BOM MAHB00 01599	रू० 200,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषक मजदूरी
2	स्व० मंदू पासवान, 45, मोती पासवान, अनुसूचित जाति	दिम्पू देवी (पत्नी) 530662167497	2459 31.12.2025	ग्राम-नया टोला, पो०-नवगछिया, थाना+प्र०-नवगछिया, जिला-भागलपुर 9229717202	501842 34129	ALLAHBA D BANK IDIB000N 556	रू० 200,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, पेंटर मजदूरी का कार्य
3	स्व० शम्भु कुमार शर्मा, 47, चुनचुन शर्मा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	रिकी देवी (पत्नी) 971335805169	2460 31.12.2025	ग्राम-नया टोला, पो०-नवगछिया, थाना+प्र०-नवगछिया, जिला-भागलपुर 9142756035	458910 110008 727	BOI BKID000 4589	रू० 200,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, बर्दई का कार्य
4	स्व० रिंकु देवी, 49, पिकु साह, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिकु साह (पति) 708078692658	2461 31.12.2025	ग्राम-धुयगंज, पो०+थाना-खरीक, प्र०-खरीक, जिला-भागलपुर 7808876407	605561 07251	BOM MAHB00 01599	रू० 200,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषक मजदूरी
5	स्व० उषा देवी, 48, कोकन मंडल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	कोकन मंडल (पति) 894168894046	2466 31.12.2025	ग्राम+पो०-सहवा, वार्ड-14, थाना+प्र०-रंगरा चौक, जिला-भागलपुर 9708437308	605425 85315	BOM MAHB00 01599	रू० 200,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषक मजदूरी
6	स्व० रूपेश कुमार, 18, मंचन राय, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	सुलोखा देवी (माता) 849076989578	2468 31.12.2025	ग्राम+पो०-तिनटगा क्यारी, थाना+प्र०-गोपालपुर, जिला-भागलपुर 9284485075	103101 100231 74	UCO BANK UCBA000 1031	रू० 100,000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूरी
7	स्व० अमन कुमार शर्मा, 19, नन्दलाल शर्मा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	नन्दलाल शर्मा (पिता) 658487038658	2469 31.12.2025	ग्राम+पो०-मुरली, पो०-मयानीपुर, थाना+प्र०-रंगरा चौक, जिला-भागलपुर 7250802255	799067 9468	INDIAN BANK IDIB000N 556	रू० 200,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषक मजदूरी
8	स्व० शम्भू कुमार मंडल, 31, छेदी मंडल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	गीता देवी (पत्नी) 317779665116	2470 31.12.2025	ग्राम+पो०-मदरौनी, वार्ड-03, थाना+प्र०-रंगरा चौक, जिला-भागलपुर 9631723603	360901 310284 24	BGB PUNBOM BGB06	रू० 200,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर

कुल :- रू 15,00,000/-
(पन्द्रह लाख रूपये मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से 'बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011/बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं0 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं0 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-32/2025(अंश)-165

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं0 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 15,00,000/- (पन्द्रह लाख रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, भागलपुर/उप श्रमायुक्त, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

06/02/2026

Signed by Rohit Kumar

Date: 06-02-2026 14:51:29

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

पटना, दिनांक :- 06/02/2026

Rajesh Bhardi

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक